FIVE RUPEES INDIA Rs.5 (×6 stamps)

न्यायालय :– मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(38)

प्रक. /2015 निगरानी

निगरानी 2563-III-15

1. हनुमंत सिंह
2. रतीराम
3. हरीराम
4. रामसहाय

पुत्रगण फेरन सिंह

निवासीगण ग्राम खैराई तह. करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.।

........आवेदकगण

बनाम

श्री एस. पी. धाकड़ ए. द्वारा आज दि. 07/08/15 को प्रस्तुत

रीडर आफ कोर्ट 7-8-15 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

काशीराम पुत्र कुन्जा
निवासी ग्राम खैराई तह. करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

.........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्रक. 29/14–15/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2015 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, विवादित भूमि ग्राम खैराई तह. करैरा में स्थित आराजी सर्वे क. 45 एवं 46 मिन रकवा 0.86 है., हेमराज के नाम, सर्वे कं. 45 मिन एवं 50 मिन रकवा 0.90 हैं., रामजीलाल के नाम, नन्दकिशोर सर्वे कं. 86 मिन रकवा 0.50 हैं., सर्वे कं. 86 मिन रकवा 0.50 हें., धनीराम के नाम, सर्वे कं. 86 मिन रकवा 0.73 है., काशीराम के नाम न्यायालय नायव तहसीलदार बृत–2 करैरा जिला शिवपुरी के समक्ष, पटटा की मांग की गई। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण पजीं. किया गया जिसका प्रकरण कं. 42/2001–02/अ–19 पर दर्ज किया जाकर विधिवत उद्घोषणा जारी नही की उक्त भूमि का व्यवस्थापन अनावेदक के नाम किए जाने के आदेश दिये जाने की कार्यवाही से पूर्व आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2563–तीन/2015 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
12–10–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 29/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2015 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2–आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण में तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक कमांक –2 द्वारा तहसीलदार करैरा के न्यायालय में दिनांक 9.6.15 को आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि प्रकरण कमांक निगरानी 2714–तीन/14 राजस्व मण्डल में संचालित है इसलिये किसी प्रकार का सीमांकन नहीं किया जावे। तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन प्रकरण कमांक 29/अ–70/2014–15 में दर्ज कर अपने आदेश दिनांक 7.7.15 को यह कहते हुये निरस्त कर दिया गया कि राजस्व मण्डल द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया गया है इसलिये इस प्रकरण में कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती। 3– प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये इस प्रकरण कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। प्रकरण कमांक निगरानी 2714–तीन/14 में आदेश पारित किया जा चुका है अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	